326

संख्याः–232–/VI(1)/2014–15(08)/2013

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 सितम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत एवं पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विवरणानुसार 04 योजनाओं हेतु ₹ 423.27 लाख के आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 404.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में नई योजना मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 450.00 लाख में से ₹ 178.62 लाख **(रूपये एक करोड़ अठहतर लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	घोषणा संख्या	योजना का नाम	आगणन की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	360/2013	स्थान पोखरी में पर्यटक आवास गृह की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी	98.68	97.30	50.00
2	633/2012	सेमनागराजा मंदिर मुखैम का पर्यटन विकास (द्वितीय चरण)	110.10	107.39	50.00
3	176/2012	जनपद रूद्रप्रयाग मे संगम स्थल का सौन्दर्यीकरण	37.76	28.62	28.62
4	पर्यटन विकास की नई योजना	भतरौजखान जिला अल्मोड़ा में पर्यटक आवास गृह के निर्माण	176.73	171.10	50.00
		योग :–	423.27	404.41	178.62

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

...2

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अवश्य कर लिया जाय।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(vi) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

(viii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत –104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–318/XXVII(2)/2014, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1409260125 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या:–232 /VI(1)/2014–15(08)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, टिहरी/रूद्रप्रयाग/चमोली/अल्मोड़ा।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकरी, टिहरी/रूद्रप्रयाग/चमोली/अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।